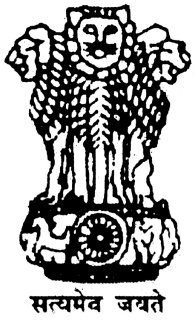

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 316 राँची, शनिवार, 30 वैशाख, 1938 (श०) / 20 मई, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

2 फरवरी, 2017

कृपया पढ़े:-

1. पुलिस उप महानिरीक्षक, सी०बी०आई, राँची प्रक्षेत्र, राँची का पत्रांक-3369,दिनांक 31 अगस्त, 2005

संख्या-5/आरोप-1-575/2014 का.-1090-- श्री रणेन्द्र कुमार, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-468/03, गृह जिला- नालन्दा), तत्कालीन उप निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राँची सम्प्रति- निदेशक, खेलकूद, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध पुलिस उप महानिरीक्षक, सी०बी०आई, राँची प्रक्षेत्र, राँची के पत्रांक-3369, दिनांक 31 अगस्त, 2005 द्वारा वाद सं०-RC 3(A)/2004-AHD-R दिनांक 22 मार्च, 2004 में पुलिस अधीक्षक, सी०बी०आई,

ए०एच०डी०, राँची द्वारा जाँच कर जाँच-प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायी गयी, जिसमें श्री रणेन्द्र कुमार, झा०प्र०से० के विरूद्ध श्री एस०एम० साहु, वरीय प्रबंधक, केनरा बैंक, डोरंडा, राँची एवं श्रीमती मंजू भूषण, प्रोपराईटर, मेसर्स भूषण इन्टरप्राईज, राँची के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र करते हुए वर्ष 1999-2001 के दौरान केनरा बैंक, डोरंडा, राँची तथा के०वी०आई०सी०, राँची से क्रमशः रू० 10,00,000/- एवं रू० 3,00,000/- का ऋण निर्गत करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया । यह ऋण के०वी०आई०सी० के अन्तर्गत ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिट प्लॉट नं०-9 औद्योगिक क्षेत्र, नामकुम, राँची में स्थापित करने के लिए श्रीमती मंजू भूषण को निर्गत कराया गया था, जबकि यह खाद्य प्रसंस्करण यूनिट कभी अस्तित्व में नहीं आया एवं प्रोपराईटर श्रीमती मंजू भूषण द्वारा बैंक एवं के०वी०आई०सी० को धोखा दिया गया ।

पुलिस अधीक्षक के जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध आरोप लगाया गया है कि मेसर्स भूषण इन्टरप्राईजेज के प्रोपराईटर श्रीमती मंजू भूषण द्वारा आर०ई०जी०पी० स्कीम के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था परन्तु श्रीमती भूषण द्वारा समर्पित परियोजना प्रतिवेदन को ऋण की स्वीकृति हेतु इनके द्वारा केनरा बैंक को अग्रसारित किया गया । श्रीमती भूषण द्वारा समर्पित परियोजना में कामगारों की संख्या-11 बताई गई थी जबकि आर०ई०जी०पी० स्कीम के तहत इसकी संख्या कम से कम 15 होनी चाहिए थी । श्री कुमार चाहते तो श्रीमती भूषण द्वारा समर्पित परियोजना प्रतिवेदन को अस्वीकृत कर सकते थे ।

उक्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के द्वारा रखे गये पक्ष का भी उल्लेख किया गया है । श्री कुमार का कहना है कि वर्ष 1997 के जनगणना के अनुसार नामकुम के सामलौंग क्षेत्र की जनसंख्या-18700 थी एवं के०वी०आई०सी० निर्देशिका के अनुसार 20000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए था और यही कारण था कि मेसर्स भूषण इन्टरप्राईजेज द्वारा समर्पित प्रस्ताव को उनके द्वारा बैंक को अग्रसारित किया गया था । इनका यह भी कहना है कि प्रायोजित इकाई की जाँच हेतु कोई निश्चित दिशा-निर्देश जारी नहीं थे । जहाँ तक मारजिन मनी विमुक्त करने का प्रश्न है, इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक के नोडल ब्रांच की थी ।

पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध किसी स्पष्ट कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की गई । अनुशंसा में मात्र यही कहा गया है कि- "Such action, as deemed fit." इसके आधार पर जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-1511, दिनांक 23 मार्च, 2007 द्वारा उप निदेशक, के०वी०आई०सी०, राँची से श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, जो अप्राप्त रहा ।

इस संबंध में श्री कुमार से पत्र, दिनांक 26 सितम्बर, 2016 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रसंगाधीन वाद में श्री शांतनु कर, पुलिस उपाधीक्षक, सी०बी०आई०, ए०एच०डी०, राँची द्वारा अंतिम रिपोर्ट समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि- "That during investigation of the case, it transpired that the evidence collected (both oral and documentary) were not enough to prosecute the accused persons before the court of law."

इस प्रकार सी०बी०आई०द्वारा दो वर्ष के सघन अनुसंधान के उपरांत भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया जा सका। श्री बी०के० तिवारी, विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा सी०बी०आई० के Closure report को स्वीकार करते हुए दिनांक 18 फरवरी, 2006 को आदेश पारित किया गया कि- "The final report submitted u/s 173 Cr.PC is accepted. Further proceeding in this case dropped." इसके आधार पर श्री कुमार द्वारा मामले को संचिकास्त करने हेतु अनुरोध किया गया ।

श्री कुमार के विरूद्ध आरोप, सी०बी०आई० के Closure report तथा वाद सं०-Rc 3(A)/2004-AHD-R में श्री बी०के० तिवारी, विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2006 को पारित आदेश के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि जिस वाद सं०- Rc 3(A)/2004-AHD-R से संबंधित पुलिस अधीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर इनके विरूद्ध आरोप लगाया गया है, उसमें अंततः अनुसंधान के क्रम सी०बी०आई० अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित करने में असफल रही है एवं विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश में वाद को समाप्त कर दिया गया है । सी०बी०आई० के Closure report में यह भी उल्लेख है कि प्रोपराईटर श्रीमती मंजू भूषण द्वारा बैंक से लिये गये ऋण को ब्याज सहित बैंक को लौटा दिया गया है ।

समीक्षोपरांत, श्री कुमार रणेन्द्र कुमार, झा०प्र०से० के विरूद्ध लगाये गये आरोप को संचिकास्त किया जा सकता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 316--50